न्यायालयः–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, जिला झुंझुनूं राज0

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार, आर.जे.एस.

प्रकरण संख्या : 129/2019

सीआईएस नंबर : 129/2019

सीएनआर नं0 : RJJH070005392019

नीलम जांगिड़ पत्नी संदीप कुमार पुत्री मानिक लाल उम्र 30 वर्ष निवासी हाल आबाद नीलम जनरल स्टोर बैंक कॉलोनी गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

––प्रार्थीया

– बनाम –

01. संदीप कुमार पुत्र भीखाराम उम्र 31 वर्ष
02. भीखाराम पुत्र चिरंजीलाल उम्र 58 वर्ष
03. श्रीमती सम्पति देवी पत्नी भीखाराम उम्र 55 वर्ष
04. कंचन पुत्री भीखाराम उम्र 23 वर्ष निवासी भैसावताखुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज.
05. पिंकी पुत्री भीखाराम पत्नी कैलाश उम्र 29 वर्ष निवासी खातियों की ढाणी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज.
06. प्रियंका पुत्री भीखाराम पत्नी छाजूराम उम्र 27 वर्ष निवासी तलोट तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
07. विजेन्द्र पुत्र रोहिताश जांगिड़ आयु 27 वर्ष निवासी भैसावताखुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज.

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम–2005

उपस्थितः–

1. श्री राधाकृष्ण शर्मा – विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीया।

2. श्री सुभाष दाधिच – विद्वान अधिवक्ता वास्ते अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं 6 लगायत 7

3. अप्रार्थी संख्या 4 और 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

:: निर्णय :: **दिनांकः 28.03.2026**

1. यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 12 घरेलु हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 का प्रार्थीया नीलम जांगिड़ ओर से दिनांक 27.05.2019 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे बाद कार्यालय जांच दिनांक 28.05.2019 को फौजदारी विविध रजिस्टर में दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

2. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादिया नीलम जांगिड़ ने एक परिवाद न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संदीप कुमार वगैरह के विरूद्ध इस आश्य से प्रस्तुत किया कि आवेदिका का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ दिनांक 07.05.2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार जाट धर्मशाला ग्राम गोठड़ा खेतडीनगर में सम्पन्न हुआ था। इस विवाह में आवेदिका के माता पिता ने अपनी हैसियत से भी ज्यादा दहेज का सामान व स्त्रीधन दिया था। आवेदिका विवाह के पश्चात अपने ससुराल गई तो प्रत्यर्थीगण ने उसका नव विवाहिता के रूप में सम्मान नहीं किया बल्कि घर आये मेहमानो के सामने ही कम दहेज लाने की बात कहकर अपमानित करने लगे व उसके साथ कड़वा व्यवहार करते हुए भूखे कंगले घ ार की कहकर बेईज्जत किया व कहने लगे कि तुम्हारे मां बाप ने जो सामान दिया है वह भी घटिया किस्म का दिया है आजकल तो लोग विवाह में कार व लाखों रूपये देते हैं तुम्हारे पिता ने ना तो कार दी व ना ही दो लाख रूपये कचोला में दिया। आवेदिका एक दिन ससुराल रहने के बाद वापस अपने पीहर आई तथा आप बीती सारी बाते अपने माता पिता को बताई तब उसके माता – पिता ने कहा कि बेटी हम लोग उनको समझा देगे एवं दूसरे दिन आवेदिका को पुनः ससुराल भेज दिया। आवेदिका के पुनः ससुराल जाने पर प्रत्यर्थीगण ने आवेदिका को फिर ताने देने शुरू कर दिये व आवेदिका से दो लाख रूपयों व कार की मांग करने लगे व भूखी प्यासी रखने लगे। प्रत्यर्थीगण आवेदिका व उसके माता पिता को बुरी–बुरी गालियां निकालते व मारपीट करने लगे। प्रत्यर्थी सं. 1 शराब पीकर आता व मारपीट

करता। आवेदिका दूसरी बार अपने ससुराल गई तभी प्रत्यर्थीगण ने उसके समस्त जेवरात छीन लिये व अपने पास रख लिये। दिनांक 28.12.2017 को आवेदिका नहान घर में नहाने गई तो उसकी सास, ससुर व ननदों ने नहान घर के गेट के आगे बिजली के नंगे तार डाल दिये व करंट छोड़ दिया जिससे नहान घर में करंट आने से आवेदिका चिल्लाई और कहा करंट आ रहा है और गेट खोलकर देखा तो प्रत्यर्थीगण वही खड़े थे। उक्त बाते अपने पति प्रत्यर्थी संख्या 1 को बताई तो उसने कहा कि मर जाती तो अच्छा होता व कहा कि जब तक तेरा बाप हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं करेगा तब तक तेरे को यो ही परेशान करते रहेंगे। दिनांक 29.12.2014 को प्रार्थीया के पिता प्रत्यर्थीगण के घर भैसावता आए व उन्हें समझाते हुए कहा कि आप लोग मेरी बेटी को परेशान क्यों करते हो इसको मारने की कोशिश क्यों करते हो हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कार्यवाही करेंगे इस पर प्रत्यर्थीगण ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में परेशान नहीं करने की बात की। वर्ष 2015 की रक्षा बंधन पर प्रत्यर्थी संख्या 1 आवेदिका को अपने साथ सिंघाना तक लाया व सिंघाना में झगडा करके छोड़ गया व कहा कि तुम अपने पिता के घर जाओ और मारूती कार व दो लाख रूपये लेकर आ जाना वरना मेरे घर मत आना जिस पर वह सिंघाना से अकेली अपने पिता के घर आई व सारी बाते बताई। प्रत्यर्थी संख्या 7 प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 3 को कहता कि इसे छोड़ दो या मार दो संदीप का दूसरा कर लेंगे। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने नाखूनों से आवेदिका के गुप्तांगों व शरीर के अन्य भागों पर घाव कर दिये। दिनाक 18.05.2016 को प्रत्यर्थीगण ने आवेदिका को बुरी तरह से मारपीट कर घर से निकाल दिया। दिनांक 21.05.2018 को आवेदिका का पित प्रत्यर्थी संख्या 1 उसके पिहर आया व कहा कि मेरी गलती हो गई मैं भविष्य में शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। उसके बाद जुलाई 2018 के अंत में समस्त प्रत्यर्थीगण व इसके साथ करीब 4–5 आदमी आवेदिका के पिहर खेतड़ीनगर आये और गाली गलौच की। आवेदिका दिनांक 18.05.2016 से अपने पिहर में बेहद दयनीय हालत में जीवन यापन कर रही है। आवेदिका के पास आय का कोई साधन नहीं है। आवेदिका के पास आवास भरण पोषण व ईलाज हेतु प्रर्याप्त धन नहीं है, वह कोई काम धन्धा भी नहीं जानती तथा

मजबूरी में वह अपने पिता के पास रह रही है। प्रत्यर्थी संख्या 1 आवेदिका का भरण पोषण भी नहीं कर रहा है। आवेदिका को अपने स्वंय के भरण पोषण ईलाज आवास व दैनिक आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये 20,000 रूपये प्रतिमाह की आवश्यकता है। प्रत्यर्थी सं. 1 चिड़ावा में प्राइवेट कॉलेज में पढाता है जिससे वह 30,000 रूपये प्रतिमाह कमाता है। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं.1 साधन सम्पन्न है जो आवेदिका का भरण पोषण करने में सक्षम है।

अंत में प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि धारा 18 सरंक्षण आदेश के तहत प्रत्यर्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह घरेलु हिंसा का कोई कार्य ना करे, आवेदिका को मारपीट ना करें व ना ही घरेल हिंसा में किसी की सहायता करे व नहीं दुष्प्रेरणा करे । धारा 19 के तहत आवेदिका वर्तमान में जहां निवास कर रही है वहां रहने देवे आने जाने में बाधा न डाले, आवेदिका को निवास हेतु 2000 रूपये प्रतिमाह दिलवाये जावे। धारा 20 के तहत उसके भरण पोषण, कपड़े, चिकित्सा, व अन्य मूलभूत आवश्यकताओ के लिये 20000 रूपये प्रतिमाह प्रत्यर्थी सं. 1 से दिलाये जावे तथा उसके स्त्रीधन की सुरक्षा की जावे व उसके स्त्रीधन व सम्पति को हुयी क्षति के फलस्वरूप क्षति पूर्ति के 1,00,000 रूपये दिलाये जावे। धारा 22 प्रतिकर आदेश के तहत आवेदिका को हुई शारीरिक व मानसिक पीड़ा के लिये प्रत्यर्थीगण से 1,00,000 रूपये प्रतिकर दिलाया जावे।

3. अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं 6 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किये है कि प्रार्थिया का विवाह अप्रार्थी सं.1 के साथ एक आदर्श विवाह के रूप में होना स्वीकार है। विवाह सादगी पूर्ण ढंग से हुआ था, किसी प्रकार का दान दहेज नहीं दिया गया था अतः दहेज में कार व दो लाख रूपये मांगने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। अनावेदक के स्वागत व सम्मान में आवेदिका के पीहर में मंगलगीत गाये गए, चावल खिलाये गये। किसी प्रकार की कोई गलत व अनहोनी बात नहीं हुई। विवाह के कुछ समय पश्चात आवेदिका का व्यवहार व आचरण अनावेदक व उसके परिजनों के प्रति बदलने लगा तथा आवेदिका बात बात पर अनावेदक व उसके परिजनों के साथ लड़ाई झगड़ा

करने लग गई तथा अनावेदक व उसके परिवारजन जब भी आवेदिका को घर का काम करने के लिए, भोजन बनाने, चाय बनाने के लिए कहते तो वह गुस्से में हो जाती तथा झगड़ा करने पर उतारू हो जाती और रोने का नाटक कर कहती कि मैं तुम्हारी नौकरानी नही हूं। तुम्हे तेा ठीक से बोलना भी नहीं आता है। मेरे मां–बाप ने तुम से रिश्ता करके मेरा कर्म ही फोड़ दिया।अनावेदक आवेदिका को समझाता तो वह उसकी कोई बात नहीं मानती व बात–बात पर अनावेकद को पीहर चले जाने व अनावेकद व उसके परिजनों को दहेज के झूठें मुकदमे में जेल में भिजवाने की धमकी देती। आवेदिका अनावेदक व उसके परिजनों को हर समय तंग परेशान करने लगी जिससे घर का माहौल खराब होने लगा तथा अनावेदक व उसके परिजनों की इज्जत, प्रतिष्ठा व मान मर्यादा गांव व समाज में गिरने लगी। आवेदिका के आचरण व व्यवहार से घर का मौहाल इस कदर खराब हो गया कि अनावेदक व उसके परिजन गांव समाज में बैठने व मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आ**वेदिका बिना बताये अपनी मर्जी से भैसावता गांव में जाकर आपकित्त जनक लोगों से लंबे समय तक बातचीत करती।** आवेदिका के परिवारजन आवेदिका को अनावेउक व उसके परिवार के खिलाफ भड़काने का कार्य करते। **अनावेदक चिड़ावा में एक प्राइवेट कॉलेज में कार्य करता है।** आवेदिका कहने लगी कि तुम मुझे चिड़ावा रखो जिस पर अनावेदक ने कहा कि गांव से कॉलेज की दूरी कम है मैं रोजाना आना जाना कर लूंगा तथा कॉलेज में कार्य के बदले इतना कम पैसा मिलता है कि हम चिड़ावा में किराये का मकान लेकर रहना मुनासिब नही है। जिस पर आवेदिका घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगी। 18 मई 2016 को आवेदिका बिना किसी को बताये साजिस योजना के तहत अनावेदक के घर भैसावता खुर्द आई तथा लडाई झगड़ा करने लगी। अनावेदक उस समय चिड़ावा में था। अनावेदक के घर आने पर देखा तो आवेदिका शादी में दिये गये समस्त जेवरातों को अपने कब्जे में लेकर जाने लगी। अनावेदक आवेदिका को समझाने लगा तो उसने अपने पिता, भाई अनील व अन्य तीन लोगों को बुला लिया उक्त लोग झगड़ा फसाद कर आवेदिका का कीमती कपड़े आदि तथा आवेदिका को अपने साथ ले गये। अनावेदक व आवेदिका का विवाद इतना गहरा हो गया कि अब आवेदिका व अनावेदक

का एक साथ एक छत के नीचे रहना कतई संभव नहीं है। आवेदिका ने खेतड़ीनगर थाने में भी अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 25 मई 2016 को शिकायत दी। आवेदिका ने अनावेदक का दो वर्ष से भी अधिक समय से परित्याग कर रखा है। दिनांक 27.05.2018 को अनावेदक व उसके परिजन तथा रिश्तेदार आवेदिका के घर समझाने के लिए गये जिस पर आवेदिका व उसके परिजन उग्र हो गये और घर गये सभी लोगों को गाली गलौच करने लगे और कहने लगे कि यहां से चले जाओ नहीं तो सब के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा देंगें। आवेदिका स्वयं अपना भरण पोषण करने में समर्थ है। अनावेदक संख्या 1 प्राईवेट जॉब करता है जो अस्थाई है उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है। अंत में जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 09.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. इस पर आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में ए.ड.1 प्रार्थीया नीलम जांगिड, ए0डब्ल्यू 02 माणिकलाल, ए.डब्ल्यू 03 श्रीमती संतरा के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 23 घरेलू हिंसा का आदेश प्रदर्श 01, एफआईआर प्रदर्श 02, चार्जशीट प्रदर्श 03 तलाक याचिका की संपूर्ण पत्रावली मय आदेशिका प्रदर्श 04, समझौता पत्र प्रदर्श 05 को प्रदर्शित करवाये गये।

6. अनावेदकगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में एन.ए.डब्ल्यू. 01 संदीप कुमार, एन.ए.डब्ल्यू. 02 भीखाराम, एन.ए.डब्ल्यू 03 बीरवल के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

7. बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 संदीप कुमार की विवाहिता पत्नी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ क्रूरता की है तथा उसको दहेज के लिए तंग–परेशान किया है। प्रार्थीया पर झूठे लांछन लगाए हैं तथा प्रार्थीया को घर से निकाल दिया। प्रार्थीया का स्त्रीधन हड़प लिया। अतः प्रार्थीया के पक्ष में अनुतोष जारी किया जावे।

8. दौराने बहस अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ कोई घरेलू हिंसा कारित नहीं की गई है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ साझा गृहस्थी में निवासरत नहीं रही है। इसलिए अप्रार्थीगण से प्रार्थीया कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकती। प्रार्थीया अपनी मर्जी से पीहर में रह रही है। अप्रार्थी संख्या 1 बेरोजगार व्यक्ति है तथा अपना खर्चा भी अपने माता–पिता से लेकर जीवनयापन करता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र परिसीमा के भीतर नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए जो निम्नलिखित है–

1- Ramesh Chandra Sharma and Others vs Smt. Meena M.Cr.C No 19979/2019 Decided on 07-01-2020

2- Lakshmamma vs Rajegowda Criminal Revision Petition no 262 of 2015 decided on 25-07-2023

3- Nishant Hussaun vs Seema Saddique And Another Criminal Revision Petition no 364 of 2012 decided on 21-09-2012

4- Sangita Shah vs Abhijit Shah & Ors decided on 17-09-2015

5-Kamlesh devi vs Jaipal & Ors CRLR No 609/2015 decided on 16-09-2016

6- Sejal Dharmesh Ved vs Ther State of Maharastra and others Criminal Revision Petition no 160 of 2011 decided on 07-03-2013

7- Mr. Gurudas Sanvalo Naik vs Mrs. Saanvi gurudas Naik Criminal writ Petition no 17 of 2015 decided on 04-07-2017

9. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण में मुख्य अवधार्य बिंदु निम्नलिखित हैं–

आया प्रार्थीया के साथ अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित करने के कारण प्रार्थीया संरक्षण आदेश व स्वयं के रहने के लिये अलग वैकल्पिक व्यवस्था करने एवं अपने मूलभूत आवश्यकताओ व दैनिक खर्चे के लिये 20,000 रूपये मासिक दिलवाने तथा स्त्रीधन को वापस दिलाने के लिए एवं प्रतिकर राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

10. उपरोक्त अवधार्य बिन्दू के संदर्भ में पक्षकारान की आई साक्ष्य का अवलोकन करे तो प्रार्थीया की ओर से स्वयं प्रार्थीया को ए0डब्ल्यू 01 के रूप में तथा उसके पिता माणिकलाल ए0डब्ल्यू 02 के रूप में तथा उसकी माता श्रीमती संतरा ए.डब्ल्यू 03 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। प्रार्थीया नीलम द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की है तथा दौराने जिरह कथन किया है कि प्रदर्श 02 व प्रदर्श 03 में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यह कहना गलत है कि मैंने तलाका याचिका विड्रो की उसके बाद में अपने पति के साथ गई थी। मैं मेरे पति के साथ नहीं गई क्योंकि वो मुझे अपने साथ नही लेकर के गये। मेरी शादी दिनांक 07.05.14 को हुई थी। मैंने अपने पति का घर दिनांक 18.05.16 को छोड़ा था क्योकि उन्होने मेरे साथ मारपीट कर मुझे घर से निकाला था। यह कहना सही है कि दिनांक 27.10.20 को मैं मेरे पति संदीप के साथ उसके घर पर नहीं रह रही थी। **यह कहना सही है कि मैंने चार साल बाद सोच समझकर मेटिनेंस का केस दर्ज कराया था।** यह कहना सही है कि मेरी शादी राजीखुशी हुई थी। शादी से पहले मैं मेरे पति संदीप से बातें करती थी, इस दौरान उन्होने मेरे से कोई दहेज की मांग नही की। मेरे पिता ने जो मुझे स्त्रीधन दिया था वो मेरे ससुराल वाले राजीखुशी लेकर के चले गये थे। मैं मेरे ससुराल में दिनांक 18.05.16 तक रही थी। मेरे पति ने मेरी पढ़ाई के दौरान बीच–बीच में लड़ाई–झगड़ा करके

छोड दिया था। मेरी शादी के बाद करीब 10–15 दिन तक मेरे ससुराल में रिश्तेदार रहे थे। विदा होकर जब मैं अपने ससुराल गई तो समस्त रस्में नहीं की गई। रिश्तेदारों में मेरी ननद, मेरी बुआ सास थी जिनके सामने मुझे मेरे ससुराल वालों ने ताने दिये थे, इनके अलावा अन्य किसी रिश्तेदार को भी नहीं जानती थी। संदीप से मेरी बातें नहीं हुई, मैंने संदीप को काफी कॉल किये थे। यह कहना सही है कि संदीप के नाम से कोई कृषि भूमि हो, प्रापर्टी हो इस बाबत मैंने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। मुझे मेरे रिश्तेदार संदीप के बारे में बताते थे कि वह राजस्थान कॉलेज चिड़ावा में प्रोफेसर है। मेरा पति शराब पीता है। मैं मेरे पति के साथ जाने के लिए तैयार नही हू, क्योकि मैं न्यायालय के जरिये मेरे ससुराल में चली गई तब मेरे पति ने मुझे मारापीटा व मुझे चिडावा छोड़कर चले गए। मैं मुकदमा दर्ज कराने के बाद मेरे पति के साथ बसावता गई थी। यह कहना सही है कि मैं मेरे पति के साथ उसकी गलतियों को माफकर के ही गई थी। **मेरा पति मुझे चिडावा छोड़कर गया उसके बाद मेरे पति से कोई बात नही हुई ना ही हम पति–पत्नी के रूप में रहे।** परिवाद पत्र के खंड संख्या 11 में जो बातें लिखी है उसमें ना ही डॉक्टर से चैकअप करवाया, यह बात मेरे माता–पिता को बताई यह नहीं लिखा। अपना ससुराल छोड़ने के बाद मैंने पढ़ाई का कार्य नहीं किया। यह कहना सही है कि जितने दिन मैं अपने ससुराल गई उस दौरान मेरा शारीरिक नुकसान हुआ था, अज खुद कहा कि मैं मेरी व्यक्तिगत बातें नहीं बता सकती।

11. गवाह ए0डब्ल्यू 02 माणिकलाल द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई है तथा दौराने जिरह कथन किया है कि मैं मेरा जीवनयापन दस हजार रूपये प्रतिमाह के अनुसार ही करता हूं। मैंने शादी में करीब आठ–नौ लाख रूपये खर्च किये थे। यह कहना सही है कि मेरी बेटी नीलम मेरे साथ ही रहती है। मैं मेरी बेटी से मेरे साथ रहने का किराया नहीं लेता हूं। यह कहना सही है कि नीलम ने कॉलेज की पढ़ाई अपने ससुराल में रहकर की थी लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा हमने उठाया था। यह कहना सही है कि मेरी बेटी नीलम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ है। संदीप के कॉलेज में पढाने की बात की मैंने राजस्थान कॉलेज चिड़ावा में जांच की थी वहां पर संदीप मुझे पढाता हुआ

मिला था। विवाह से पहले संदीप के घरवालों ने कोई दहेज की मांग नहीं की। अजखुद कहा कि विवाद के बाद दहेज की मांग की थी। विवाह के दिन संदीप के घ ारवालों द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई थी।

गवाह ए0डब्ल्यू 03 श्रीमती संतरा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई है तथा दौराने जिरह कथन किया है कि मैं कभी भी नीलम के ससुराल नहीं गई। संदीप जब हमारे घर पर आता था तब कोई झगड़ा नही ंहोता था। यह कहना सही है कि मैंने मेरी लड़की नीलम के साथ कभी–भी संदीप को व उसके परिवार वालों को मारपीट करते हुए, लडाई–झगड़ा करते हुए नहीं देखा। यह कहना सही है कि मैंनें दहेज की मांग की बात नीलम के बताये अनुसार बता रही हू। यह कहना सही है कि सन 2016 से सन 2021 के बीच ना तो संदीप हमारे घर आया ना ही नीलम संदीप के घर पर गई ना ही संदीप व नीलम के बीच कोई बातचीत हुई। यह कहना सही है कि नीलम ने ससुराल से आने के बाद कोई पढ़ाई नहीं की। नीलम शादी होने के बाद सन 2016 तक वह अपने ससुराल से पीहर आती–जाती रहती थी, कितने बार आना–जाना रहा, मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि जब–जब भी नीलम अपने पीहर आती तब–तब संदीप उसे लेकर के जाता था। यह कहना सही है कि संदीप का फूफाजी संदीप के साथ आया तब हमने नीलम को संदीप के साथ भेजा था। दिनांक 18.05.16 को जब नीलम अपने पीहर आई तब वह अपने भाई व पिता के साथ आई थी।दिनांक 18.15. 16 को जब मेरी लड़की घर पर आई तब हम उसे थाने पर लेकर के गये थे लेकिन थानेवालों ने सुनवाई नहीं की। उस दिन हमने हमारी बेटी को डॉक्टर को नहीं दिखाया। यह कहना सही है कि सन 2016 से 2021 तब कोई कार्यवाही नहीं की। हम हमारी लडकी का घर बसाना चाहते थे। यह कहना सही है कि हमने पांच साल बाद सोच–समझकर भरण–पोषण लेने के लिए यह केस दर्ज कराया है। हम नीलम को संदीप के साथ नहीं भेजना चाहते क्योंकि उसके ससुराल वाले नीलम को परेशान करते है। संदीप व नीलम का मनमुटाव नीलम के ससुराल जाते ही हो गया था।

12. इसी प्रकार गवाह एन0ए0डब्ल्यू 01 संदीप कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की है तथा दौराने जिरह कथन किया है कि चिढावा में मैंने स्कूल में अध्यापन का कार्य किया था। आज भी मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। घर पर ही मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता हूं। नीलम ने मेरे साथ शादी के दो माह बाद ही लड़ाई–झगड़े शुरू कर दिये थे। **लड़ाई–झगड़े का कारण पैसा होता था। मेरे से रूपयों की नीलम द्वारा मांग की जाती थी उससे लड़ाई–झगड़े होते थे।** नीलम ने मेरे से 60000/– रूपये अपने भाई के एडमिशन के लिए मांगे थे और मैंने वो रूपये नहीं दिये क्योकि मैं बेरोजगार था। ये सही है कि मैंने नीलम से तलाक लेने का मुकदमा किया था और मैं नीलम से तलाक लेना चाहता हूं, इसलिए मैंने मुकदमा किया था। ये सही है कि नीलम को न्यायालय के माध्यम से समझाईश का मेरे साथ भेजा गया था। नीलम के झगड़ों से परेशान होकर मैं घर से बाहर चला गया था। **नीलम जब आई तो उससे एक महीने पहले ही मैं घर छोड़कर चला गया था और उसक एक महीने के दौरान मैं कहां रहा आज मुझे याद नहीं।** मैं एक महीने के दौरान कभी कहीं कभी कहीं घूमता रहा। सन 2015 में किस तारीख व महीने में नीलम के अपने पीहर आई यह बात मैंने मेरे शपथ पत्र में लिखाई या नहीं मुझे आज याद नहीं। अज खुद कहा कि मैं दिनांक 02.11.15 को नीलम को लाने के लिए उसके पीहर गया था। यह कहना सही है कि नीलम ने मेरे खिलाफ कॉपर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नीलम द्वारा लडाई–झगड़ा करने का मैंने कहीं कोई मुकदमा दर्ज नही करवाया। दिनांक 18 मई 2016 को जब नीलम ने लड़ाई–झगडा किया तब मैं घर पर नहीं था। नीलम द्वारा झगड़ा किया गया तब मुझे मेरे परिवार वालों ने फोन कर दिया था तब मैं घर पर पहुच गया था। जब मैं घ ार पर पहुचा तब नीलम झगड़ा कर रही थी। मेरे सामने नीलम द्वारा झगड़ा किया जा रहा था, यह बात मैंने शपथ पत्र में लिखाई या नहीं मुझे आज याद नहीं। वर्तमान में मैं बेरोजगार हूं, इसलिए नीलम का भरण–पोषण करने में सक्षम नहीं हूं। यह कहना सही है कि मैं न्यायालय के माध्यम से नीलम को भरण–पोषण दे रहा हूं। अजखुद कहा कि नीलम ने चिडावा में भरे बाजार में मेरे साथ करीब घंटेभर

झगड़ा किया, जिससे बाजार में आने–जाने वाले लोग मुझ पर हंसने लगे, जिससे मुझे ग्लानि महसूस हुई, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, इसलिए मैं वहां से चला गया और नीलम वहीं चिडावा बाजार में ही रह गई। चिडावा बाजार से नीलम वापस मेरे घर आ गई थी, यह बात मुझे मेरे घर पर पहुचने के बाद पता चली। अज खुद कहा कि मैं चिडावा बाजार से अपने घर पर नही गया बल्कि बीकानेर चला गया तथा फिर एक महीने बाद मैं मेरे धर पर पहुचा था, तब मुझे पता चला कि नीलम वापस मेरे घर पर आ गई थी।

13. इसी प्रकार गवाह एन0ए0डब्ल्यू 02 भीखाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई है तथा दौराने जिरह कथन किया है कि वर्तमान में भी मेरा लड़का प्रतियोगी तैयारी कर रहा है। मैं एक्स सर्विस मैन हूं, शादी में समय मैं सेवानिवृत हो गया था। मेरी 25 हजार रूपये मासिक पेंशन है। मेरा बेटा चिडावा लाईब्रेरी में तैयारी करता था यह कोचिंग नहीं गया था। मेरा बेटा मेरे से 500 रूपये महीने के लेता था और अन्य कुछ खर्चा मेरे बेटे का नहीं था। मेरे बेटे का मोबाईल का रिचार्ज भी मैं ही करवाता था। **यह सही है कि जब मेरा बेटा घर से गायब रहा था तब वो नीलम से झगड़ा करके ही गायब रहा था** अज गवाह ने खुद कहा कि झगड़ा किसने किया यह मुझे पता नहीं है। यह सही है कि संदीप नीलम से झगड़ा करके सीधा कही पर चला गया था लेकिन घर पर नहीं आया था लेकिन नीलम हमारे घर पर आ गई थी। दो तीन महीने बाद 4 या 3 दिसम्बर को नीलम के पिता जी नीलम को अपने घ पर लेकर चले गये थे। मैंने शपथ पत्र के खंड नंबर 6 में नीलम द्वारा आपत्तिजनक लोगों से बात करते समय दिनांक महीना नही देखा था। जो अजखुद कहा कि ये बात 2016 की है जिसकी शिकायत मैंने कहीं नहीं की और उसके घरवालों को उसी समय बता दिया था। ये कहना सही है कि मेरे लड़के ने नीलम से तलाक लेने के लिए न्यायालय में मुकदमा किया था। **यह कहना सही है कि मेरा लड़का नीलम को अपने साथ नहीं रखना चाहता था इसलिए उसने तलाक का मुकदमा किया था।** ये बात भी सही है कि न्यायालय में समझाईश करने के बाद नीलम को मेरे लड़के साथ भेजा था जो चार–पांच महीने रही थी। ये भी सही है कि मेरे लड़के ने चार–पाचं महीने

बाद नीलम को मारपीट करके छोड़ दिया था। अजखुद कहा कि मारपीट हुई या दोनों में क्या बात हुई मैं बाहर था इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई। ये सही है कि अगर नीलम मेरे लड़के संदीप के साथ अगर जाती है तो संदीप उसका भरण–पोषण करने में सक्षम है।

13. इसी प्रकार गवाह एन0ए0डब्ल्यू 03 बीरवल ने अपनी मुख्य परीक्षा में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गई है तथा दौराने जिरह कथन किया है कि मैने मरे शपथ पत्र के खंड नंबर 3 में आवेदिका द्वारा लडाई–झगड़ा की बात लिखाई है वह मेरे सामने किस तारीख महीने में हुई यह मुझे ध्यान नहीं। **पहली बार मेरे सामने लड़ाई–झगड़ा की घटना आज से सात–आठ साल पहले आई थी।** पहली बार जब मैं लड़ाई–झगड़े की बात सुनकर मेरे साले के बुलाने पर गया था कि वो लड़ाई–झगड़ा करके गई उसको घर लाना है। जब मेरे सामने लड़ाई–झगड़ा हुआ था तब मैं ससुराल किस काम के लिए गया था मुझे नहीं पता। मेरे सामने लड़ाई–झगड़ा एक बार ही हुआ था जो भी सात साल पहले हुआ था। मेरे पास लड़ाई–झगड़ा के समाचार आते रहते थे इसलिए मैंने मेरे शपथ पत्र में बाकी जो बातें बताई वो सुनी–सुनाइर्द आधार पर बताई है वो भी मैंने मेरे साले भीखाराम के कहने पर बताई है। मैंने मेरे शपथ पत्र में और क्या–क्या लिखाया यह मुझे उम्र के हिसाब से याद नहीं रहता है। मैंने मेरे गवाही का शपथ पत्र कब दिया यह भी मुझे ध्यान नहीं है। यह भी सही है कि अब मेरा दिमाग काम नहीं करता है।

14. इस प्रकार से पक्षकारो की आई उपरोक्त साक्ष्य का अवलोकन करे तो अप्रार्थीगण का मुख्य कथन यही है कि प्रार्थीया के साथ कोई क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है, ना ही दहेज के लिए तंग–परेशान किया गया है, जबकि इस संबंध में अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करे तो अप्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य स्वयं स्वीकार किया है कि प्रार्थीया अपनी मर्जी से भैसावता गांव में जाकर आपत्तिजनक लोगों से लंबे समय तक बातचीत करती थी, चूंकि उपरोक्त तथ्य के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है तथा आपत्तिजनक व्यक्ति

कौन थे ऐसी भी कोई साक्ष्य नहीं है। कितने लंबे समय तक लोगों से बातचीत की गई इस बाबत भी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जबकि इस तरह के आरोप लैंगिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रार्थीया द्वारा स्पष्ट कथन किया है कि उसके साथ क्रूरता की गई थी तथा कम दहेज लाने के लिए ताने दिए गए थे। चूंकि पत्रावली की यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रदर्श 05 समझौता पत्र में पति–पत्नी के मध्य आपस में मनमुटाव हो गया था, तत्पश्चात प्रार्थीया राजीखुशी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ रहने गई है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 संदीप द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया है कि जुलाई 2023 में मैं नीलम को लेकर गया था। नीलम के झगड़े से परेशान होकर मैं घर से बाहर चला गया था तथा नीलम जब आई तो एक महीने बाद मैं घर छोड़कर चला गया था। मैं एक महीने के दौरान कभी कहीं तो कभी कहीं घूमता रहता था, इस प्रकार से नीलम का परित्याग करना भी प्रकट है तथा दिनांक 11.11.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नीलम को भरे बाजार में छोड़कर जाना भी प्रकट है।

यद्यपि अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि नीलम द्वारा झगडा करने के कारण आत्मसम्मान के कारण भी नीलम को भरे बाजार में छोड़कर चला गया था जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त तथ्य से प्रार्थीया को ठेस न पहुची हो, यह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में संभाव्य प्रतीत नहीं होता है। यदि किसी महिला का पति भरे बाजार में किसी महिला को अकेला छोड़कर चला जाए तो महिला की गरिमा एवं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि नीलम ने मेरे साथ शादी के दो महीने बाद लड़ाई–झगड़े शुरू किए थे तथा लड़ाई झगड़े का कारण पैसा होता था कि मेरे से नीलम द्वारा रूपयों की मांग की जाती थी इस कारण लड़ाई झगड़े होते थे।

चूंकि बिना किसी कारण नीलम द्वारा रूपयों की मांग की जाती हो अथवा बार–बार नीलम से रूपयों की मांग की जाती हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीया का भरण–पोषण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी अप्रार्थी संख्या 1 की थी इस तरह से

प्रार्थीया के जीविकोपार्जन हेतु रूपयों का भुगतान नहीं करना आर्थिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है। यह तथ्य भी स्वीकार किया था कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य लड़ाई–झगड़ा होता था। यद्यपि प्रार्थीया द्वारा दहेज की मांग के लिए तंग–परेशान करना कथन किया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया के स्वभाव क्रूर होने के कारण झगड़ा करना कथन किया है।

यह तथ्य स्वीकृत है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नीलम से झगड़ा किया जाता था और इस संबंध में प्रदर्श 05 समझौता पत्र में भी नीलम के साथ मनमुटाव होने का तथ्य स्वीकार किया है। चूंकि घरेलू हिंसा की परिभाषा काफी विस्तृत है जिसके अंदर केवल दहेज की मांग ही शामिल नहीं है बल्कि किसी महिला के साथ शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक दुर्व्यवहार करना भी शामिल है। किसी महिला के उपर बेबुनियाद झूठे लांछन लगाना भी उसके साथ घरेलू हिंसा ही है। यह स्वीकृत स्थिति है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया का परित्याग कर रखा है, चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया को वर्ष 2023 में छोडकर जाना तत्पश्चात 2–3 महीने तक घर पर नहीं लौटना प्रार्थीया के परित्याग करने की श्रेणी में आता है।

इसके अतिरिक्त एनएडब्ल्यू 02 भीखाराम द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि मेरा लड़का नीलम को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। इसलिए उसने तलाक का मुकदमा किया था। इस प्रकार से प्रार्थीया का परित्याग किया जाना प्रकट होता है तथा यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि उसके लड़के ने 4–5 महीने बाद नीलम को मारपीट करके छोड़ दिया था। इस प्रकार से भी नीलम के साथ मारपीट करना प्रकट है तथा एनएडब्ल्यू 03 बीरवल द्वारा भी यह तथ्य स्वीकार किया है कि पहली बार मेरे सामने लड़ाई झगड़ा की घटना आज से 7–8 साल पहले आई थी। इस प्रकार से उपरोक्त समस्त गवाहान द्वारा लडाई–झगड़े का तथ्य स्वीकार किया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया के साथ अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू हिंसा कारित की गई है।

यद्यपि अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 बेरोजगार व्यक्ति है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि यह स्वीकृत स्थिति है कि अप्रार्थी संख्या 1

संदीप कुमार स्कूल में अध्यापन का कार्य किया है तथा बच्चों को शिक्षा देने का कार्य अप्रार्थी संख्या 1 को अच्छी तरह से आता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का तथ्य भी स्वीकार किया है। इस प्रकार से अप्रार्थी संख्या 01 शिक्षित व्यक्ति है। अप्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को चिडावा में कॉलेज में जाना जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है।

यद्यपि अधिवक्ता अप्रार्थीगण का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 बेरोजगार व्यक्ति है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि मात्र उपरोक्त कथन करने से यह नहीं मान लिया जाता कि अप्रार्थी संख्या 1 बेरोजगार है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 शिक्षित व्यक्ति है जो बच्चों की पढ़ाई एवं टयूशन से भी आजीविका कमा सकता है। अप्रार्थीगण की कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जॉब करने के लिए प्रयास किए हो और उसे जॉब प्राप्त नहीं हुई हो इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अप्रार्थी संख्या 1 बेरोजगार व्यक्ति है तथा पत्रावली की आई साक्ष्य से यह तथ्य स्वीकृत है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया के अंतरिम भरण–पोषण राशि का निरंतर भुगतान कर रहा है।

यद्यपि अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ साझा गृहस्थी में निवास नहीं किया है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि प्रार्थीया की अप्रार्थी संख्या 1 के साथ वर्ष 2014 में शादी हुई थी, तत्पश्चात प्रार्थीया अपने ससुराल चली गई थी एवं वर्ष 2018 तक अपने ससुराल में रही थी। तत्पश्चात वर्ष 2023 में चार माह तक अपने ससुराल रही थी। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया साझा गृहस्थी में निवासरत थी। यहां तक कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विचारण के दौरान भी प्रार्थीया अपने ससुराल साझा गृहस्थी में गई है, जबकि घरेलू नातेदारी साबित करने के लिए साझा गृहस्थी में वर्तमान में अथवा किसी भी समय साथ रहना आवश्यक है।

प्रार्थीया लगातार अप्रार्थीगण के साथ अपने ससुराल भैसावता में निवासरत रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत (**रमेश चंद्र आदि**) में प्रार्थीगण साझा गृहस्थी में कभी निवास ही नहीं किया था। इसलिए उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत

हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होता। इसी प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के उपर लागू नहीं होते हैं।

चूंकि यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण के साथ साझा गृहस्थी में निवासरत रही थी तथा जुलाई 2018 में प्रार्थीया के साथ गाली–गलौच करने के कारण प्रार्थीया अपने पीहर आई थी, तत्पश्चात दिनांक 27.05.2019 को प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कि एक वर्ष के भीतर ही पेश कर दिया गया है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थीया का आवेदन पत्र परिसीमा से बाहर हो। लिहाजा उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने एवं अप्रार्थीगण से संरक्षण आदेश प्राप्त करने की अधिकारिणी है। यद्यपि प्रार्थीया द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई कि प्रार्थीया का स्त्रीधन अप्रार्थीगण के कब्जे में हो, अथवा प्रार्थीया की संपत्ति को कोई क्षति हुई हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है।

20. लिहाजा उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया नीलम जांगिड की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किये जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: <u>आदेश</u> :–

21. परिणामतः प्रार्थीया नीलम जांगिड की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत यह संरक्षण आदेश प्राप्त करने की अधिकारिणी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ कोई घरेलू हिंसा का कृत्य नहीं करे व घरेलू हिंसा का कार्य किए जाने में किसी की सहायता नहीं लेवे व ना ही दुष्प्रेरण करे तथा अप्रार्थी संख्या 01 को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थीया को 6500/– अक्षरे छः हजार पांच सौ रूपये प्रतिमाह बतौर भरण पोषण हेतु दिनांक 17.08.2023 से अदा करेगा। यदि अप्रार्थी द्वारा पूर्व में अन्तरिम भरण–पोषण या किसी अन्य प्रकरण में किसी प्रकार की कोई भरण पोषण की राशि प्रार्थीया को अदा

की गई है तो अंतरिम भरण पोषण की अदा की गई राशि इसमें समायोजित होगी तथा उपरोक्त अवधि से पूर्व की भरण पोषण अदा करने का प्रार्थीया का आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा उपरोक्त भरण पोषण की राशि 6500/– अप्रार्थी संख्या 01 प्रत्येक माह की 15 तारीख तक प्रार्थीया को अदा करेगा।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी
जिला झुंझुनू

23. आदेश आज दिनांक 28.03.2026 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी
जिला झुंझुनू